बिहार सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना। (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

संख्या- २(-482

प्रेषक,

## ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 27/06/20/9

- विषय— श्रीमती विभा सिंह द्वारा सीतामढ़ी जिलान्तर्गत NH-77 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.0446 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।
- प्रसंग भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/28965/2017/3158, दिनांक 28.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 18.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है–

क्र० सं०		अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
2	<b>Compensatory Afforestation:</b> The State Forest Department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The user Agency shall transfer the cost of	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा दस वर्षों के सम्पोषण की राशि रू० 7,04,410/- (रू० सात लाख चार हजार चार सौ दस) मात्र को Account No. 1506219928965355, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 02.06.2019 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. ALLA201906125009667708 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

3 (a)	Net Present Value (NPV): The User Agency shall deposit Net Present Value (NPV) for the 0.0135 ha forest area to be diverted under this proposal. The NPV is to be computed as per prescribed rates and the same shall be transferred into the State CAF account created/to be created under the CAF Act, 2016 and CAF Rules 2018 as per the prevalent guidelines. Additional amount of NPV of the	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.0446 अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 6.2 लाख प्रति हे॰ की दर से कुल रू॰ 27,920/ (सताईस हजार नौ सौ बीस रूपये) मात्र का Account No. 1506219928965355, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, New Delhi, में e- challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 02.06.2019 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. ALLA201906125009667708 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि
(b)	diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of	प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	User Agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) and deposited through challan generated online on web portal (https://parivesh.nic.in) and deposited in appropriate Bank online only. Amount deposited	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 02.06.2019 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e- challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
5	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per the following norms issued by the Ministry of Road Transport and Highways	
(a)	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms shops etc	
(b)	the location of the fuel station may be provided without disturbing the road side plantations.	इन शत्तों का अनुपालन उनक द्वारी किया जायगा।
(c)	Entire Periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary,	ः इन शत्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायगा। । ;
(d		e इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers, staff	e इन शत्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायगा।
7		

, तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014; Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153134

	1	
8	The period of diversion under this	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि
	approval shall be co-terminus with	इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
1.54	the project life of the petroleum	CRU <sup>3</sup>
9	The forest land under diversion shall	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि
(a)	not be used for any purpose other	इन शर्त्तां का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	than that specified in the project	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	proposal.	6 - 1
(b)	The forest land under diversion shall	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि
	under no circumstances be	इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	transferred to any other agencies,	
	department or person without prior	
	approval of Govt. of India.	
10	Violation of any of these conditions	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि
	will amount to violation of forest	इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	(Conservation) Act, 1980 and action	
	would be taken as per the	
	MoEF&CC Guideline F. No. 11-	
	42/2017-FC dated 29.01.2018	
11	Any other conditions that the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि
	Ministry of Environment, Forest &	इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	Climate change may stipulate from	
	time to time in the interest of	
	conservation protection and	이번 영화가 전쟁이 가슴 것 않는 것이 같아. 저
	development of forest and wildlife.	
12	The compliance report shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्त्तों का
	uploaded on e-portal	Compliance report, Ministry के Website पर
	(https://parivesh.nic.in)	अपलोड कर दिया गया।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्त्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.0446 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/– (ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

## ज्ञापांक- FC - <u>48</u>2

बिहार, पटना। Garia- 27/06/2019

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी वन प्रमंडल, सीतामढ़ी को सूचना हेतु प्रेषित।

> **ह०/–** (**ए०के०पाण्डेय**) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

## Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Sitamarhi/ Sitamarhi Forest Division, Sitamarhi.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Stm. Vibha Kumari Singh / BPCL Retail Outlet				
4		0.0446 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	28.05.2019				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a.Compensatory Afforestation	7,04,4	10/-			
	b. Additional CA	-NA-				
	C. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	27,920/-				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
	indicated in paragraph	1	e-challan	ALLA201906125	27,920/-	NPV
		2	Sector Sector	009667708 dt. 02.06.2019	7,04,410/-	CA
		1	a service of the	Total-	7,32,330/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance					
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Corporation Bank, New Delhi or dt. 02.06.2019				
12			and the second			

(A. K. Pandey) Signature of APCCF (CAMPA)cum-Nodal Officer (FC), Bihar.